न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 440/2018

अपीलाण्ट	वनाम	रेस्पोडेन्ट्स
केसाराम पुत्र तुलछाराम मेघवाल निवासी धांधलावास, तहसील गुड़ामालानी, जिला जोधपुर		1. बेसरा पुत्र पुरखा के का0मु0– 1/1 करताराम पुत्र स्व0 बेसरा 1/2 छगनाराम पुत्र स्व0 बेसरा 1/3 मोहन पुत्र स्व0 बेसरा 1/4 जवानाराम पुत्र स्व0 बेसरा (जाति मेघवाल, निवासी धांधलावास, तह0 गुडामालानी, जिला बाडमेर) 2. इन्द्राराम पुत्र नेनिया 3. अगराराम पुत्र नेनिया 4. पारू पत्नी नेनिया 5. हरा पुत्र गोवा 6. वावूराम पुत्र प्रागाराम 7. अचलाराम पुत्र प्रागाराम 8. सवा पुत्र गंगा 9. तारा पुत्र गंगा (जाति मेघवाल, निवासी धांधलावास, तह0 गुडामालानी, जिला बाडमेर) 10. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी (बाडमेर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी (बाड़मेर) दिनांक 02.05.2018 राजस्व प्रकरण संख्या 160/2016 अनवान केसाराम बनाम बेसरा वगैरा

उपस्थित–

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, वकील अपीलांट
2. श्री पी0आर0 मेघवाल, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 9
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से
4. रेस्पो0सं0 1/1 से 1/4 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 17.11.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाण्ट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी (बाडमेर) द्वारा

राजस्व प्रकरण संख्या 160/2016 केसाराम वनाम बेसरा में पारित आदेश दिनांक 02.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी –अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् प्रस्तुत कर आग्रह किया कि ग्राम धांधलावास के खसरा नं0 88/1 रकबा 32.00 बीघा भूमि एवं इसके सेढा–सेढ विप्रार्थी सं0 1 से 9 की ख0नं0 88 की भूमि स्थित है, जो मूल ख0नं0 88 का भाग थी। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में इसका आपसी सहमती से विभाजन हुआ तथा विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थी के खेतों के बीच तरमीम बंटवाडे अनुसार की गई। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा लट्ठा ट्रेस में गई तरमीम व मौका कब्जा काश्त में भारी अन्तर है। अतः जरिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी के खसरान की मौका कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्धि करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त तरमीम विभाजन प्रस्ताव अनुसार की गई है, वक्त तरमीम राजस्व कार्मिकों द्वारा कोई भूल अथवा लिपिकीय त्रुटी किया जाना नही पाया जाता है। अतः प्रार्थी का आवेदन आरएलआर की धारा 131 व 136 के अन्तर्गत शुद्धि किए जाने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। इससे व्यथित होकर अपीलांट–प्रार्थी ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट–प्रार्थी ने तरमीम दुरूस्ती का आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि ग्राम देवड़ों की ढाणी तहसील गुडामालानी के ख0नं0 53 व 88 के संदर्भ में एक विभाजन का व.द सं0 420/2009 अपीलार्थी द्वारा सह खातेदारों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विभाजन के प्रस्ताव पर अंतिम डिक्री जारी करने के पश्चात राजस्व नक्शें में ख0नं0 88/1 प्रार्थी के हिस्से में रखा गय

उसकी तरमीम गलत स्थान पर कर दी गई, जिसकी दुरूस्ती करावे। प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका फर्द दिनांक 30.4.18 के अनुसार प्रार्थी के हिस्से वाली भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व ढाणी, टांके को काले व लाल रंग से दर्शाते गया। उक्त रिपोर्ट प्रकरण में सुनवाई दिनांक 9.4.18 को पेश नही हुई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बिना नोटिस एवं बिना किसी पूर्व सूचना के पत्रावली को केम्प कोर्ट में ले जाकर दिनांक 2.5.18 को प्रार्थी का आवेदन मनमाने ढंग से खारिज कर, निर्णित कर दिया गया। जिसमें मौका रिपोर्ट मय नक्शे पर कोई विचार नही कर, बिना सुनवाई के सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने यह मान लिया कि वाद सं0 420/2009 में विभाजन के प्रस्ताव अनुसार नक्शे में तरमीम की हुई है, जबकि विभाजन का प्रस्ताव अथवा अंतिम डिक्री या संबंधित वाद की पत्रावली विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर नही थे। लोक अदालत में पक्षकारों की सहमती के बिना किसी मामले का गुणावगुण पर निस्तारण नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, माफिक आवेदन प्रार्थी की तरमीम दुरूस्ती का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 2 से 9 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट तथा मजमेआम जानकारी पर पारित किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक 03 दिनांक 2.5.18 में मौजा धांधलावास के मूल ख0नं0 88 के विभाजन से बने नये ख0नं0 88 व 88/1 के मध्य की गई तरमीम, वर्तमान राजस्व नक्शा में मौका अनुसार नही होना बताया गया है। वक्त तरमीम राजस्व कार्मिकों की भूल अथवा लिपिकीय त्रुटी नही पायी जाने से प्रार्थी–अपीलांट का आवेदन धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत खारिज कर दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 सं0 10 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के राजस्व वाद सं0

संभागीय आयुक्त

420/09 में पारित निर्णय दिनांक 15.1.13 व उसके सलंग्न तहसीलदार गुडामालानी के पत्रांक 11112 दिनांक 28.12.12 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शे (प्रमाणित प्रति) में अपीलांट–प्रार्थी का ग्राम देवडों की ढाणी, धांधलावास के मूल खसरा नं0 88 में जिस स्थान पर हिस्सा/कब्जा बरंग आसमानी दर्शाया गया है, उसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट कमांक 03 दिनांक 2.5.18 के संलग्न नजरी नक्शै एवं मौका फर्द दिनांक 30.4.18 से होती है। मौका फर्द में स्पष्टतः उल्लेखित है कि मौजा धांधलावास के ख0नं0 88 व 88/1 के मध्य की गई तरमीम वर्तमान राजस्व नक्शा में मौका अनुसार नही है। तहसीलदार गुडामालानी के पत्र दिनांक 2.5.18 में प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती की अनुशंषा की गई है। इसके उपरांत अपीलाधीन आदेश में मनमाने ढंग से यह लिखते हुए कि ''तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 2.5.18 में उक्त तरमीम राजस्व कर्मचारियों की भूल से किया जाना नही बताया है'' अतः उक्त तरमीम आरएलआर की धारा 131, 136 के अंतर्गत शुद्धि योग्य नही होने से प्रार्थी का आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है, विधिसम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी (बाडमेर) द्वारा प्रकरण सं0 160/2016 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2018 निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है कि वह सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर) के राजस्व वाद सं0 420/09 उनवान केसा बनाम बेसरा वगैरा में राजीनामे के अनुसार पारित निर्णय दिनांक 15.01.13 व इसकी पालना में पारित माफिक डिगरी पर्चा व नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड एवं नक्शें में प्रार्थी–अपीलांट के ख0नं0 88/1 का इन्द्राज/तरमीम दुरूस्त करावे।

निर्णय आज दिनांक 17/11/25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

17/11/25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर